फर्द अहकाम

पन्नालाल वगै0 बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0

वाद संख्या: 128 / 2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.09.2024	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 02.04.2024 को अधिवक्ता वादी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर नोटिस तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 06.05.2024 को वादी को साक्ष्य वादी हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 30.07.2024 को वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र नाथूलाल का पेश किया व कालूराम का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है। पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता को सुना गया। दाराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं इन्द्राज दुरूस्ती आदेश इस आशय का दिया जावे कि भूमि खसरा नम्बर 341 का रकबा 0.23 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड किया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 340 का रकबा 0.15 हैक्टेय दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध इस आशय का जारी किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 340 को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करें, ना ही उक्त भूमि में काई निर्माण करे, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सीतापुरा, त0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 341 के रकबा 0.21 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.23 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 340 रकबा 0.18 हैक्टेयर के स्थान पर 0.15 हैक्टेयर किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर) .जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:09:27 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

वाद पत्र : 128 / 2022

डिक्री जारी दिनांक : 02.09.2024

पन्नालाल वगै0

बनाम

लक्ष्मीनारायण वगै0

वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉंगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलादार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम सीतापुरा, त0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 341 के रकबा 0.21 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.23 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 340 रकबा 0.18 हैक्टेयर के स्थान पर 0.15 हैक्टेयर किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति वाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत........

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ओहदा........

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:09:27 IST
Reason: SelfAttested